

मुठ नं 74/2019

50

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी सरकार बनाम हुनुमान

आज्ञा नं	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>सरकार पँरोकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली ने दावा बाबत घोषणा प्रस्तुत किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 7-2-19 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (जसपुर)</p>
12 ² / ₁₉	<p>सरकार पँरोकार उपर/ समाप्त क्रमांक में मोरिसो की तामील नहीं हो रही। क्रमांक मोरिसो की तारीख पेशी दिनांक 25-2-19 को पेश हो।</p>	
2 ² / ₁₉	<p>सरकार पँरोकार उपर/ पूर्व दिनांक 26/4/18 को पेश हो।</p>	
5 ⁴ / ₁₉	<p>सरकार पँरोकार उपर/ P.O हॉटल के बारे में दिनांक 16.5.19 को पेश हो।</p>	
16 ⁵ / ₁₉	<p>पत्रावली आम पेश हुई। सरकार पँरोकार तहसीलदार कोटपूतली उपस्थित। उपरोक्त के संक्षेप में तथ्य</p>	

क्र. नं 74
2019

फर्द अइकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

सरकार बनाम

हनुमान

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा कार्यवाही	<p>इस प्रकार है कि सारा पत्रकार जादि तहसीलदार को पत्र लिखे कि वाद दाखला केस करके दिखल हुअली इस न्यायालय में प्रेष किया।</p> <p>वाद दर्ज राजस्व किश जमा प्रतिवादीगत वर जादि नो दिखल तब किश जमा।</p> <p>इसके दौरान हमने वाद-पत्र एवं इस पर उपलब्ध निवेद वर अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट हुआ कि प्रस्तुत किश जमा वाद इशोर है तथा प्रश्नकार प्रकरण में भूमि वर दिखल अदि वर वा वक्त होने पाया जमा। लेकिन इस लखनध में वाद-पत्र में राजस्व निवेद में वा लिखित अतिरिक्त वर वर वस्तु लिखित स्पष्ट नहीं मी। उक्त एकी लिखित में वाद वर तहसीलदार को पत्र लिखे वर वापस लिये। वाद मी प्रर स्पष्ट दिखल</p>
उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (जयपुर)		

क्र.नं. 74
2019

तहसीलदार बनाम दकुमान
दावा दायतात्मक

बारे हुए मंत्र दलकैम दावा पेय किना
आवे

उक्त इरेष वी पालना में तहसील
दार कोयूरली ने अपने लिखित इरेषमन
पत्रिका - अ० क्र०/19/1326 दिनांक 15.5.19
द्वारा प्रस्ताव प्रमाण के अन्तर्गत दावा रु०
492 जो इपवादी है वर सेरीगेटेड
किना मात्र निस्तारण किया जा चुका है।
इक प्रमाण है वर वर वर वर - गरी चले
है।

इतना तहसीलदार कोयूरली के उक्त
लिखित के आधार पर वर वर वर वर वर वर वर वर
किना जाता है। फलवली फलवली फलवली
दो वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर वर
दस्ता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोयूरली (जयपुर)